# उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर)
ईमेल :– **dpro.deoghar-jhr@nic.in**

## –: आवश्यक सूचना :–

## शुद्धि पत्र

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड, राँची का अधिसूचना संख्या–395/पं0 दिनांक–19.02.2021, पत्रांक–410, दिनांक–22.02.2021 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी ज्ञापांक–351/जि0पं0, दिनांक–13.03.2021 द्वारा देवघर जिले हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों में तकनीकि कर्मियों की सेवा, सेवा अनुबंध प्राप्त करने हेतु कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटरों की जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं जिले के वेबसाईट (deoghar.nic.in) के माध्यम से विज्ञापन की सूचना प्रकाशित की गयी थी। उक्त प्रकाशित विज्ञापन में ***संविदा/नियुक्ति संविदा के आधार पर*** शब्द अंकित हो गये हैं, जो विभागीय निदेश के अनुरूप नहीं है।

अतः विभागीय पत्रांक–1408, दिनांक–05.08.2021 के आलोक में ***संविदा/नियुक्ति संविदा के आधार*** शब्द के स्थान पर ग्राम पंचायतों में सेवा, सेवा अनुबंध तथा जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु समझा जाय। इस हद तक संशोधित किया जाता है। अन्य यथावत् रहेंगे।

(विज्ञापन संख्या PR243755 Deoghar (20-21)_D के आलोक में)

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक : 705/जि0पं0, देवघर, दिनांक 11/08/2021

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी देवघर को सूचनार्थ एवं स्थानीय विभिन्न समाचार पत्रों में उपरोक्त शुद्धि पत्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। शुद्धि पत्र वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, देवघर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

11/08/2021
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।